

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सचिवालय
9वां तल-ए विंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्या : 135
दिनांक : 08/06/2018
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री मनजिंदर सिंह सिरसा

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

प्रश्न	उत्तर
क) क्या यह सत्य है कि मैक्स अस्पताल में घटित केस के संदर्भ में दिल्ली सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में दवाओं तथा कंज्यूमेबल इत्यादि के संबंध में एक कमेटी गठित की थी;	जी हां ।
ख) यदि हाँ, तो इस कमेटी की क्या सिफारिशें हैं ;	इस कमेटी की सिफारिश के तहत डाफ्ट एडवाइजरी बनाई गई है । डाफ्ट एडवाइजरी के अनुमोदन की प्रक्रिया जारी है ।
ग) सरकार ने इस कमेटी की सिफारिशों को लेकर क्या निर्णय लिया है ;	
घ) इसमें अस्पतालों के लिए कितना प्रॉफिट मार्जिन रखा गया है; और	
ड.) कमेटी की सिफारिशों के कार्यान्वयन की क्या स्थिति है ?	सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए दिल्ली नर्सिंग होम्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1953 तथा उसके अंतर्गत बनाये गए अधिनियमों को संशोधित करना होगा जिसके लिए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।



(राजीव यदुवंशी)

प्रधान सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

दिल्ली सरकार

Raajiv Yaduvanshi

Pr. Secretary

Health & Family Welfare Deptt.

Govt. of NCT of Delhi